

चयनित अभ्यर्थी के लंबित आपराधिक मामलों के सन्दर्भ में सूचना, चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण तथा किसी और व्यक्ति विशेष, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण।

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2020: in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in W.P.C. No. 536 of 2011 के आलोक में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार।)

**राजनीतिक पार्टी- विकासशील इंसान पार्टी**

**चुनाव का नाम- बिहार विधान सभा चुनाव २०२०**

**राज्य का नाम- बिहार**

**विधान सभा का नाम- 81- अलीनगर**

**अभ्यर्थी का नाम- मिश्री लाल यादव**

क्रम सं.		
1.	लंबित आपराधिक मामले	
	क.) अपराध की प्रकृति	(i) 147, 148, 149, 341, 323, 504, 506, भ. दं. सं, 1860; (ii) 147, 148, 149, 447, 448, 341, 323, 354(B), 386, 427, 504, 506 भ. दं. सं, 1860; (iii) 147, 149, 323, 307, 353, 109, 120(B), 427 भ. दं. सं, 1860; (iv) 323, 324, 147, 148, 149, 342, 337 भ. दं. सं, 1860;
	ख.) केस न.	(i) रैयाम थाना काण्ड सं. 4/19; T.R. No. 893/20 (ii) रैयाम थाना काण्ड सं. 8/17; T.R. No.13/17 SCST (iii) ल. सराय थाना काण्ड सं. 220/09; T.R. No. 2250/20 (iv) रैयाम थाना काण्ड सं. 6/07; T.R. No. 3393/20
	ग.) न्यायालय	(i) स्मिता कुमारी-I; (ii) A.D.J.-I, Darbhanga ; (iii) ACJM-V; (iv) ACJM-VII
	घ.) क्या आरोप विरचित किये गए हैं?	नहीं
	ङ.) दोषसिद्धि की तारीख, यदि कोई	लागू नहीं
	च.) सज़ा, यदि कोई	लागू नहीं
	छ.) अन्य कोई जानकारी	लागू नहीं
2.	चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण	अभ्यर्थी के विरुद्ध लगे आरोप सही नहीं हैं एवं उनके बाइज़लत बरी होने की संभावना है। अभ्यर्थी की सामाजिक भागीदारी उल्लेखनीय रही है एवं वो समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3.	किसी और व्यक्ति विशेष जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण	उपरोक्त के समान

विधान सभा का नाम- 81- अलीनगर

अभ्यर्थी का नाम- मिश्री लाल यादव

(छोटे सहनी)

राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, विकासशील इंसान पार्टी